



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल E-mail:  
cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

अनुदेश संख्या- 03/2017

1 दिसंबर, 2017

विषय: जब्त की गई पशुधन के रखरखाव के सम्बन्ध में हुए खर्च ।

यह सूचित किया गया है कि पशुओं के जब्त एवं अन्य पशुधन के मामले में, रखरखाव शुल्क स्वयं उन्हें ही उठाने होंगे जिसके द्वारा वस्तुओं को जब्त किया गया है जब तक की उस वस्तु की नीलामी नहीं हो जाती । वैसे जब्त की गई पशुधन सीमा शुल्क के अलावा अन्य एजेंसी के पास होती है, उन्हें इसके रखरखाव में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

तदनुसार, यह फैसला लिया गया है कि नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले बिडर को पशुधन के रखरखाव में खर्च हुए रकम की भुगतान / प्रतिपूर्ति अभिरक्षक को करनी होगी। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद माल की डिलीवरी करते समय जब्त किए गए पशुओं के संरक्षक को उच्चतम बोली द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। तदनुसार, रखरखाव शुल्क विभाग द्वारा प्राप्त बोली मूल्य से अलग होगा। अलग से रखरखाव शुल्क के भुगतान के इस पहलू को बोली दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

यहां तक कि उन मामलों में जहां सामान के मालिक को जब्त किए गए सामान जारी किए जाएंगे, माल के मालिक को माल के रखरखाव के लिए किए गए शुल्कों का भुगतान करना होगा।

विभागीय प्रमुख रखरखाव शुल्क के मूल्यों पर निर्णय ले सकते हैं जो अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से पशुधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू हो सके, जो आम तौर पर जब्त किए गए पशुधन और स्थानीय पशु चिकित्सा प्राधिकरणों की हिरासत में लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

ऊपर निर्दिष्ट प्रणाली को 08-12--17 से प्रभावी बनाया जा सकता है। इस अभ्यास में आगे के निर्देशों तक इस अभ्यास का पालन किया जाएगा।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइजल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग ।  
निवेदन है कि अनुदेश को सभी सम्बंधित की सूचना में लाया जाए एवं कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जाए।
3. उप आयुक्त, मुख्यालय, निवारक, सीमा शुल्क, शिलांग ।
4. उप आयुक्त (निपटान), सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग ।
5. अधीक्षक, कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
6. गार्ड फाइल ।



(मदोली दासो)

सहायक आयुक्त (तकनीकी)